

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **281** /नि0हो0/628/2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि0हो0/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सन्तोष लाल	रा0हो0चि0, पदमपुरी, नैनीताल।	रा0हो0चि0, कुँवरपुर, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
0/c निदेशक,

पत्रांक: **281** /नि0हो0/628/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
0/c निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: **282** / नि0हो0 / 628 / 2025-26,

दिनांक: **09** जून, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि0हो0/628/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित भेषजिक (फार्मासिस्ट) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	भेषजिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री प्रदीप कुमार	रा0हो0चि0, बदियाकोट, बागेश्वर।	रा0हो0चि0, जिला चि0, बागेश्वर।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित भेषजिक (फार्मासिस्ट) आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित भेषजिक का माह जून, 2025 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: **282** / नि0हो0 / 628 / 2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6. संबंधित भेषजिक द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
निदेशक।